कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री कृष्णा एग्रो, बल्देव नगर, महोबा।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**93 / 11, 07.10.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री कृष्णा एग्रो, बल्देव नगर, महोबा द्वारा दिनांक 07.10.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि ' उद्योग उत्पादक के ऊपर कोयला आयात पर प्रवेश कर लगेगा या नहीं ? '

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 12.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा पत्र संख्या-1323, दिनांक 01.11.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि प्रार्थी पत्थर केल्साइन करके पाउडर बनाने का व्यवसाय करते हैं। ईंधन के रूप में कोयला प्रान्त बाहर से आयात करते हैं। व्यापारी द्वारा आयातित कोयले पर स्वयं उपभोग के कारण नियमानुसार प्रवेश कर की देयता बनती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, महोबा ने उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 01.08.2011 जारी किया है जो प्रार्थी को दिनांक 10.08.2011 को प्राप्त हुआ है। स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात उत्पन्न हुआ है। इस प्रकरण में नोटिस जारी होने के कारण कार्यवाही कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष पेडिंग है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) की व्यवस्थानुसार कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रश्नगत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, झाँसी जोन, झाँसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी को उनके कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 01.08.2011 को जारी किया गया है जो प्रार्थी को विधिवत तामील है। चूँकि प्रकरण प्रार्थी के कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 21 मार्च, 2014

ह0 / 21.03.3014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।